

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अनुपूरक कार्यसूची

अष्टम् सत्र

शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

2(क). श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षित लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (ii) कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षित लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (iii) कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (iv) कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (v) कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित);

- (vi) कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986(1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (vii) कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित); और
- (viii) बीज अधिनियम, 1966 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 ।

शिमला-171 004
दिनांक: 09 अप्रैल, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)